न्यायालय सहायक-कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड-अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 9/2019

प्रार्थी – मस्तुराम पुत्र जवानाराम जाति बावरी निवासी मेवड़ा तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी – 1. भैरूराम पुत्र जवानाराम जाति बावरी निवासी मेवड़ा तहसील डेगाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री कमलेश नारायण व्यास

अधिवक्ता अप्रार्थी– श्री तिलोक शर्मा

दिनांक 31.03.2021

न्यायालय उपखण्ड डेगाना (नागौर)

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम मेवड़ा की राजस्व सीमा में आवेदनकर्ता का खातेदारीसुदा काश्त एवं कब्जासुदा भूमि खेत खसरा नंबर 432 रकबा 0.65 हैक्टेयर आयी हुई है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 432 के पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी का खेत खसरा नंबर 431 आया हुआ है तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 431 के अड़ोअड़ उत्तर दिशा में प्रार्थी का खातेदारीसुदा खेत खसरा नंबर 438 आया हुआ है। खसरा नंबर 438 व 431 उत्तर–दक्षिण लम्बाई में अड़ो–अड़ स्थित है जो खेत पूर्व में एक ही चक था तथा पूर्व खातेदारान से प्रार्थी व अप्रार्थी ने क्रय किया था जिससे प्रार्थी के खरीदसुदा खेत के खसरा नंबर 438 एवं अप्रार्थी के खेत के खसरा नंबर 431 डाले गये। प्रार्थी व अप्रार्थी आपस में सगे भाई है। प्रार्थी व अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 438 व 432 के पश्चिम दिशा में आम कटाण रास्ता आया हुआ है तथा इस कटाणी रास्ते से प्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 438 की दक्षिणी माठ–माठ पूर्व–पश्चिम लम्बाई तक अपने खेत में आता जाता है लेकिन खसरा नंबर 432 में पहुँचने के लिए खसरा नंबर 438 की पूर्वी माठ तक चलकर आगे प्रार्थी की खातेदारीसुदा भूमि खसरा नंबर 431 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे अपने खेत खसरा नंबर 432 में पहुँ[illegible]इस वाद पत्र के साथ एक नजरी नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें रास्ते को मार्क ए से बी से दर्शाया गया है। आवेदनकर्ता [illegible] मार्क ए से बी के बीच करीब 12 फुट चौड़ाई में कई सालों से [illegible] जगह रास्ता चला [illegible] है। इस रास्ते के अलावा खसरा नंबर 432 में जाने हेतु कोई दूसरा रास्ता नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 15:23:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

है। मगर अब अप्रार्थी के मन में बदयान्ति आ गई तथा अब अप्रार्थी आवेदनकर्ता को उक्त रास्ते से आने–जाने में दखलन्दाजी उत्पन्न कर रहा है तथा रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिससे आवेदनकर्ता अपने खेत में आ जा नहीं सकता है, जिससे आवेदनकर्ता का खेत खाली पड़ा है तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपने खेत की सा संभाल भी नहीं कर पा रहा है। अतः आवेदनकर्ता को ग्राम मेवड़ा के खसरा नंबर 432 रकबा 0.65 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अप्रार्थी के ग्राम मेवड़ा में आये खेत खसरा नंबर 431 रकबा 0.89 हैक्टेयर की उत्तरी माठ के पास पास ट्रेस नक्शा में बताई लाल लाईनों के बीच मार्क ए से बी तक 12 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता कायम कराने के आदेश प्रदान करावें। अदालत के आदेश के अनुसार रास्ते की भूमि के मुआवजा राशि का प्रार्थी भुगतान करने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया।

प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी कलां से विवादित भूमि का मौका निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट चाही गई। भू–अभिलेख निरीक्षक पालड़ी कलां ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी मस्तुराम ने ग्राम मेवड़ा के खसरा नंबर 432 में जाने हेतु अप्रार्थी भैरूराम के खेत खसरा नंबर 431 में से रास्ता चाहा गया है। नजरी नक्शा अनुसार खसरा नंबर 438 की पूर्वी पश्चिमी सीमा पर से 4 मीटर चौड़ा व 14 मीटर लम्बाई में बिन्दू ए से बीप र रास्ता चाहा है। परन्तु खसरा नंबर 431 भी राजस्व रेकर्ड अनुसार कटाणी रास्ता पर नहीं है। खसरा नंबर 438 कटाणी रास्ता पर है। खसरा नंबर 431 के खातेदार भी खसरा नंबर 438 के दक्षिणी पश्चिमी माठ से अपने खेत में नजरी नक्शा अनुसार बिन्दू सी से डी से आता–जाता है तथा जिसकी 14 मीटर लम्बाई और 4 मीटर चौड़ाई है। खसरा नंबर 431 के खातेदार व खसरा नंबर 432 व 438 के खातेदार दोनो सगे भाई है तथा रिपोर्ट के बिन्दू संख्या ए से बी व सी से डी दोनो रास्तों के लिये सहमत है तथा दोनो ही रास्ते मौके पर उपयोग किये जा रहे है। दोनो ही खातेदारों का बराबर–बराबर हिस्सा रास्ते में जाता है। सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी मस्तुराम व अप्रार्थी भैरूराम के हस्ताक्षर है।

हमने अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 432 में जाने हेतु खसरा नंबर 431 में से रास्ता चाहता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बावजूद पर्याप्त अवसर के जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत रिपोर्ट [illegible] चाहा गया रास्ता राजस्व ग्राम मेवड़ा के खसरा न[illegible] पर 4 मीटर चौड़ा व 14 मीटर लम्बाई में मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। साथ ही अपनी रिपोर्ट में [illegible] नंबर 431 के भी कटाणी रास्ता नहीं लगता है। अप्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 431 में आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 15:23:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

हेतु प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 438 में से मार्क सी से डी स्थान का रास्ते के रूप में उपयोग करता है। मार्क सी से डी की लम्बाई 14 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है। इस प्रकार मार्क ए से बी की भूमि 56 वर्ग मीटर बनती है तथा मार्क सी से डी की भूमि भी 56 मीटर बनती है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो सगे भाई है तथा दोनो ही मार्क ए से बी व मार्क सी से डी रास्ता देने पर सहमत है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो की ही समान भूमि रास्ते में जा रही है जिससे रास्ते की भूमि का मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः राजस्व ग्राम मेवड़ा के खसरा नंबर 431 रकबा 0.8900 हैक्टेयर किस्म बारानी2 भूमि में से भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी कलां की रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे में मार्क ए से बी स्थान एवं ग्राम मेवड़ा के खसरा नंबर 438 रकबा 0.5000 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 में से भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी कलां की रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे में मार्क सी से डी स्थान को रास्ता घोषित किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी भैरूराम की भूमि राजस्व ग्राम मेवड़ा के खसरा नंबर 431 रकबा 0.8900 हैक्टेयर किस्म बारानी2भूमि में से भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी कलां की रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे में मार्क ए से बी स्थान पर 4 मीटर चौड़ा व 14 मीटर लम्बाई में कुल रकबा 56 मीटर रास्ता घोषित किया जाता है। इसी प्रकार प्रार्थी मस्तुराम की भूमि राजस्व ग्राम मेवड़ा के खसरा नंबर 438 रकबा 0.5000 हैक्टेयर किस्म बारानी2 भूमि में से भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी कलां की रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे में मार्क सी से डी स्थान पर 4 मीटर चौड़ा व 14 मीटर लम्बाई में कुल रकबा 56 वर्ग मीटर रास्ता घोषित किया जाता है। दोनो पक्षकारों की समान भूमि रास्ते में जाने के कारण रास्ता की भूमि का मुआवजा दिया जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी अनुसार रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। भू अभिलेख निरीक्षक पालड़ी कलां की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2021 इस आदेश का भाग रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 15:23:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner